कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 263 /आउशि/नि.का/09 भोपाल, दिनांक 21-5-09

प्रति,

कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः—नवीन एवं पूर्व संचालित महाविद्यालयों को **सम्बद्धता प्रदाय करने के संबंध में।**

—:0:—

कृपया **इस संबंध में इस** कार्यालय के पूर्व निर्देशों का अवलोकन करने का कष्ट **करें। गत वर्षों से संचालित कतिपय महाविद्यालयों के** आवेदन पत्रों के परीक्षण **पर यह** ज्ञात हुआ है कि उनके द्वारा कालेज कोड–28 के अंतर्गत नियुक्तियां नहीं की गयी हैं जो अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने की शर्तों के विरूद्ध है।

अतः कृपया प्रत्येक निजी महाविद्यालय को सम्बद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित महाविद्यालय के द्वारा कालेज कोड–28 के अंतर्गत नियुक्तियां पूर्ण कर ली गयी हैं। कालेजवार नियुक्त प्राचार्य/प्राध्यापकों/ सहायक प्राध्यापकों के नाम एवं पते तथा पूर्ण योग्यता सहित विवरण विश्वविद्यालय के वैबसाईट पर अनिवार्यतः प्रकाशित करने का कष्ट करें। कालेज कोड–28 की पूर्ति न होने की दशा में महाविद्यालयों को सम्बद्धता एवं प्रवेश की अनुमति प्रदाय न करें।

उपरोक्त व्यवस्था को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव का होगा।

Ashish

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा,म.प्र.भोपाल

पृ.क्रं. 264 /आउशि/निका/09 भोपाल,दिनांक 21-5-09

प्रतिलिपिः—

1— कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2— निज सहायक, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
3— निज सहायक, मा0 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

Ashish

आयुक्त
उच्च शिक्षा,म.प्र.भोपाल